

प्रकीर्ण आदेश सं.- ५५० / 2018, दिनांक-29.01.2018

न्यायालयों का कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु माह फरवरी, 2018 से अप्रैल, 2018 तक, अवकाश के दिनों में रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य का निस्तारण किये जाने हेतु नियमित प्रकार से रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को डिप्यूट किया जाता है-

<u>माह</u>	<u>रिमाण्ड ड्यूटी</u>
1. फरवरी, 2018	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
2. मार्च, 2018	न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
3. अप्रैल, 2018	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।

सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानीखेत एवं सिविल जज, (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट एवं भिकियासैण, अवकाश के दिनों में अपने-अपने क्षेत्र से सम्बन्धित रिमाण्ड एवं अर्जेंट कार्य स्वयं करेंगे। सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानीखेत की अनुपस्थिति में उनका उपरोक्त कार्य सिविल जज, (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट/भिकियासैण एवं सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट/भिकियासैण, की अनुपस्थिति में उनका कार्य सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानीखेत, सम्पादित करेंगे। उपरोक्त दोनों मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में रिमाण्ड का कार्य मुख्यालय पर उपस्थित रिमाण्ड मजिस्ट्रेट सम्पादित करेंगे।

(मन मोहन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ।
2. सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा।
3. सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानीखेत।
4. सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वाराहाट/भिकियासैण।
5. वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, अल्मोड़ा।
6. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन, अल्मोड़ा।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला जजी अल्मोड़ा।
8. गार्ड फाइल हेतु।

(मन मोहन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।